पण्डित दीनदयाल उपाध्याय
अन्त्योदय सम्बल पखवाड़ा 2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़, जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–सुरेश राव (आर.ए.एस.)

वाद संख्या :–33/2025

जी.सी.एम.एस.नं. :–2025/57

उषा देवी पत्नी हरीराम जाति जाट निवासी चक 11/12 एन डी नाहरावाली तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगागनर (राज.)

———वादीया

बनाम्

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

————प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वकील उपस्थित

1. सुशील गोदारा एडवोकेट — वादीया की ओर से
2. राज पैरोकार — प्रतिवादी की ओर से

–:: निर्णय ::– दिनांकः– 8/7/25

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वाके यह कि कृषि भूमि वाके चक 14 एल एम तहसील अनूपगढ का खाता सं.–8 नया पुराना 9 का पत्थर सं.–1/40 मु.न.–8 का कि.न.–23/3, 24, 25 की 0.569 हैक्टर कमाण्ड मय खाला खातेदारी कृषि भूमि वादीया के नाम उषारानी पत्नी हरीराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति सलग्नं है। वादीया निवेदन करती हैं कि दर्ज कृषि भूमि वादीया के द्वारा नत्थूराम पुत्र लुणाराम जाति जाट निवासी चक 14 एल एम से जरिए पंजीकृत बैयनामा दिनांक 26.05.1998 से खरीदशुदा है जो बैयनामा के आधार पर राजस्व रिकार्ड में वादीया के नाम दर्ज हुई था जो निरन्तर वादीया के अधिकार एवं अधिपत्य में चली आ रही है। वादीया उक्त भूमि की खातेदार कृषक है। वादीया का सही व वास्तविक नाम उषादेवी पत्नी हरीराम हैं लेकिन वादीया परिवार जो ग्रामीण परिवेश का था व वादीया भी ग्रामीण परिवेश की महिला थी चूंकि वाद पत्र की दर्ज कृषि भूमि वादीया के द्वारा जरिऐ पंजीकृत बैयनामा दिनांक 26.05.1998 नत्थूराम पुत्र लुणाराम जाति जाट निवासी चक–14 एल एम से खरीद की गई थी बैयनामा लिखवाते समय वादीया ने प्रलेख लेखक को [illegible] बताया था लेकिन वादीया का नाम ग्रामीण भाषा में शब्दो का उचारण एवं बोलने [illegible] के कारण प्रलेख लेखक ने सहवन से यादीया का नाम बैयनामा लिखते वक्त बैयनामा में उषादेवी के स्थान उषा रानी लिख दिया जिसका वादीया को उस समय ज्ञात नहीं हो [illegible] बैयनामा के आधार पर इन्तकाल वर्ज करते वक्त इन्तकाल व राजस्व रिकार्ड में भी वादीया का नाम गलत रूप से उषारानी दर्ज कर दिया गया जो कि एक सदभाविक एवं मानवीय भूल है। वादीया का सही या वास्तविक

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.08 13:42:48 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय
अन्त्योदय सम्बल पखवाड़ा 2025

नाम उषादेवी पत्नी हरीराम हैं वादीया के पहचान के दस्तावेज आधार कार्ड, जन आधार कार्ड व भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र व परिवार राशन कार्ड जिनकी प्रतियां सलग्नं वाद पत्र है में वादीया का नाम उषादेवी पत्नी हरीराम ही दर्ज है। लेकिन दस्तावेज की लिखा पढ़ी करते वक्त सहबन से प्रलेख लेखक द्वारा वादीया के सही नाम उषादेवी के स्थान पर उषारानी दर्ज कर दिया था तत्पश्चात बैयनामा के आधार पर वादीया के नाम से राजस्व रिकार्ड में इन्तकाल वादीया के गलत नाम उषारानी के नाम से ही दर्ज हुआ जो कि एक सदभाविक एवं मानवीय भूल है। वादीया यहां यह भी स्पष्ट कर रही है कि उक्त बैयनामा के पंजीयन के समय वादीया के समस्त दस्तावेज उषादेवी पत्नी हरीरामा के नाम से ही पेश किए गए थे जिससे स्पष्ट हैं कि बैयनामा में वादीया का नाम सहबन से उषा देवी के स्थान पर उषारानी दर्ज हो गया था जबकि वादीया का सही नाम उषा देवी ही है इस प्रकार उषादेवी व उषा रानी वादीया का ही नाम है। वादीया जो कि ग्रामीण परिवेश की महिला है। वादीया को पुर्व मे उक्त त्रुटि का कतई ज्ञान नहीं था अब वादीया उक्त कृषि भूमि पर ऋण की पत्रावली तैयार करवाने के सम्बधं में अरसा सात दिन पूर्व पटवारी हल्का से मिली तो उन्होने वादीया के दस्तावेज व जमीन का रिकार्ड देखकर बताया कि वादीया का नाम जमाबन्दी में उषादेवी दर्ज नहीं हैं बल्कि वादीया का नाम रिकार्ड में उषारानी दर्ज है। जिस पर वादीया ने पटवारी हल्का को बताया कि वादीया का सही नाम उषा देवी ही हैं तो पटवारी हल्का द्वारा उक्त त्रुटि को दुरूस्त करवा रिकार्ड शुद्धिकरण करवाने के लिऐ माननीय न्यायालय मे चाराजोई करने के लिऐ कहा जिस पर वादीया तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़ के समक्ष उपस्थित हुई तो उन्होने कहा कि सक्षम न्यायालय में चाराजोई करें बस यही बिनाय मुखासमत वाद पत्र है। वादीया का सही उषादेवी पत्नी हरीराम हैं लेकिन सहबन से वादीया का नाम राजस्व रिकार्ड में उसका नाम उषारानी पत्नी हरीराम दर्ज हो गया हैं जो कि एक सदभाविक एवं मानवीय भुल हैं वादीया के राजस्व रिकार्ड एवं अन्य दस्तावेजात में नाम अलग–2 होने के कारण वादीया को काफी मुश्किलात का सामना करना पड रहा है। क्योकिं राजस्व रिकार्ड मे वादीया का नाम गलत रूप से उषारानी दर्ज है और अन्य आवश्यक समस्त दस्तावेजात में वादीया का नाम उषादेवी दर्ज है। जिससे वादीया भविष्य में अपने हिस्सा की कृषि भूमि के सम्बध में बैंक इत्यादि से लोन आदि लेने में वादीया को काफी दिक्कत एवं परेशानीयों का सामना करना पड़ेगा इसलिए भी न्यायहित में राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में सहयन से गलत दर्ज हुरे नाम को दुरूस्त कर रिकार्ड शुद्धिकरण किया जाकर सही नाम दर्ज किया जाना आवश्यक है। ताकि भविष्य में वादीया को दो अलग अलग नाम दर्ज होने के कारण किसी प्रकार की परेशानीयों का सामना ना करना पड़े और वादीया अपने सही व वास्त[illegible]षादेवी के नाम से ही अपनी उक्त कृषि भूमि का उपयोग उपभोग कर सके इसलिए वादीया मा. न्यायालय से इस आश्य की घोषणा करवाने की विधिक अधिकारी एवं हकदार है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादपत्र वादीया बहक वादीय[illegible]खिलाफ प्रतिवादी निम्न रूप से निर्णीत एवं डिक्री फरमाया जायें वाद पत्र में दर्ज कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड (जमाबन्दी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.08 1[illegible]:42:48 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय
अन्त्योदय सम्बल पखवाड़ा 2025

सम्वत 2075 (वर्ष 2018) में दर्ज वादीया के गलत नाम उषारानी पत्नी हरीराम को दुरूस्त किया जाकर उसके स्थान पर वादीया का सही व वास्तविक नाम उषादेवी पत्नी हरीराम घोषित किया जावे तदनुसार राजस्व रिकार्ड में वादीया के दर्ज गलत नाम उषारानी को दुरूस्त कर उसके स्थान पर सही नाम उषादेवी दर्ज कर रिकार्ड को शुद्धिकरण किए जाने का आदेश प्रतिवादी को दिया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार अनूपगढ़ से जवाब स्टेट प्राप्त किया गया। जबाब स्टेट तहसीलदार (भू.अ.) से प्राप्त रिपोट मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी अनूपगढ़ चक 14 एल एम तहसील अनूपगढ का खाता सं. नया 8 का पत्थर सं.–1/40 मु.न.–8 का कि.न. 23/3, 24, 25 की 0.569 हैक्टर उषा रानी पत्नी हरीराम जाति जाट सा. देह के नाम से खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थीया द्वारा अपने नाम उषा रानी के स्थान पर उषा देवी करवाने का अनुतोष चाहा है। उक्त संबंध में पूछताछ एवं सरपंच 15 एल.एम. के तस्दीक प्रमाण पत्र के अनुसार उक्त दोनों नाम एक ही महिला के होना बताया है। साथ ही पूछताछ एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर पाया कि उक्त महिला के नाम से ही चक 14 एल एम के खाता सं.–68, 73, 74 के संयुक्त खाते में प्रार्थीया का नाम उषा देवी दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबंदी संलग्न है। अतः मुताबिक पूछताछ सरपंच 15 एल.एम. के तस्दीक प्रमाण पत्र के अनुसार उक्त महिला एक ही है। अतः प्रार्थीया का नमा उषा रानी के स्थान पर उषा देवी किया जाना उचित है। फर्द मौका, सरपंच तस्दीक प्रमाण पत्र, एवं जमाबंदी संलग्न है।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मेरे द्वारा मनन किया गया। तहसीलदार (भू0अ0) अनूपगढ़ द्वारा प्राप्त रिपोर्ट क्रमाक 2262 दिनांक 07.07.2025 एवं ग्राम पचांयत 15 एल.एम द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर वादीया का नाम उषा रानी के स्थान पर उषा देवी दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी बहक वादी विरूद प्रतिवादी स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी बहक वादी विरूद प्रतिवादी स्वीकार किया जाकर खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 14 एल एम तहसील अनूपगढ का पत्थर सं.–1/40 मु.न.–8 का कि.न. 23/3, 24, 25 की 0.569 हैक्टर कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में **वादीया का नाम उषा रानी पत्नी हरीराम के स्थान पर उषा देवी पत्नी हरीराम अंकन किया जावे।** प्रतिवादी तहसीलदार अनूपगढ़ को उक्त आदेश को राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करने हेतु परवाना अलग से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 8/7/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.08 13:42:48 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़